न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर जिला चूरू
पीठासीन अधिकारी – मीनू वर्मा (आर.ए.एस.)
राजस्व मूल वाद संख्या 107/2022

1. अंकित जोड़ीवाल पुत्र सुशिल कुमार जोड़ीवाल जाति जोड़ीवाल निवासी तारानगर जिला चूरू
2. गौरीशंकर पुत्र भंवरलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोगटिया चारणान तहसील तारानगर जिला चूरू
3. ओमप्रकाश पुत्र शेराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी बावरियां तहसील तारानगर जिला चूरू
4. रतनलाल पुत्र मामचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी बावरियां तहसील तारानगर जिला चूरू

–वादीगण–

बनाम

1. धनराज वरमेचा पुत्र पूनमचन्द वरमेचा जाति ओसवाल निवासी ओसवाल बड़ा बास पंचायती के पास, सरदारशहर जिला चूरू
2. मु. निशा वरमेचा पत्नी धनराज वरमेचा जाति ओसवाल निवासी ओसवाल बड़ा बास पंचायती के पास, सरदारशहर जिला चूरू
3. पंकज कुमार पुत्र मघराज डागा जाति ओसवाल निवासी डाक गली, सरदारशहर जिला चूरू
4. मु. बसन्ती देवी पत्नी भंवरलाल जाति व्यास निवासी ताल मैदान के पास, सरदारशहर जिला चूरू
5. भंवरलाल पुत्र केशराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मांची बाड़ा डावला, तहसील व जिला चूरू
6. मु. सुन्दर देवी पत्नी सुमेरमल वरमेचा जाति ओसवाल निवासी ओसवाल बड़ा बास पंचायती के पास, सरदारशहर जिला चूरू
7. प्रवेश पुत्र उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी गढी बोहर तहसील व जिला रोहतक हरियाणा।
8. एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक, सरदारशहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण–

दावा बावत प्राप्त करने डिक्री विभाजन खाता व लगान एवं दुरूस्ती।
अन्तर्गत धारा 53 रा. का. अधि. 1955 सहपठित धारा 136 रा.भू.रा.अधि. 1956

उपस्थिति:
1. श्री अजय कुमार सारण, अधिवक्ता वास्ते वादीगण सं. 1 ता 4
2. श्री मनोज कुमार पारीक, अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 01 ता 04 व 06
3. श्री प्रतापसिंह बिदावत, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 05
4. श्री भानीराम झाझड़िया, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 07
5. श्री श्रवणसिंह राठौड़, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 08
6. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी सं. 9

दिनांक - 22.5.24

–निर्णय–

वादीगण द्वारा वाद पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" के साथ प्रस्तुत इस दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 01 ता 07 की सह–खातेदारी में अंकित कृषि भूमि हाल ख.नं. 193 तादादी 17.9700 हैक्टे. रोही मौजा मेलूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू में स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 01 ता 07 राजस्व अभिलेखो मे अभिलेखित अपने खातेदारी हिस्सो के मुताबिक काबिज होकर मौके पर काश्त करते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 01 ता 07 ने आपसी रजामन्दी एवं स्वतंत्र इच्छा से बिना किसी जबरन या दबाव के आपसी सहमती से मौके की कब्जा काश्त की सुविधा के मुताबिक व्यवहारिक जुबानी बंटवारा समाज के मौजीज व्यक्तियों के समक्ष मौके पर माप करवाकर काफी वर्षो पहले कर लिया। जुबानी व्यवहारिक बंटवारा ... नजरी नक्श "एनेक्श्चर ए" मे लाल, पीले एवं हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है। कब्जा नक्शा "एनेक्श्चर ए" ... का अभिन्न भाग एवं अंशशुमार है।

इस प्रकार वादीगण द्वारा वादकारण दिनांक 13.05.20.. को उत्पन्न होना अंकित कर ... भूमि में के अपने अधिकारो की भूमि का खाता एवं लगान का विभाजन करवाकर अलग खाता कायम करवाकर राजस्व अभिलेखो में विभाजन के मुताबिक अमल दरामद करवाने के लिए वाद पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:38:20 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with OKEN Scanner

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी सं. 01 ता 09 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 01 ता 08 जरिये विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं. 01 ता 04 व 06 के अधिवक्ता ने जबाब दावा प्रस्तुत करना नहीं चाहा तथा प्रारम्भिक डिक्री जारी करने में आपति नहीं होना आदेशिका दिनांक 31.01.2024 में अंकित किया गया। प्रतिवादी सं. 05 ता 07 व 09 द्वारा बार–बार अवसर लेने के उपरान्त भी जबाब दावा पेश नहीं करने पर जबाब देही बन्द की गई। प्रतिवादी सं. 08 ने जबाब दावा पेश कर प्रतिवादी सं. 01 ता 02 द्वारा अपनी हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 08 के हक में बिला कब्जा रहन की होने से प्रतिवादी सं. 08 के द्वारा दिये गये ऋण को सुरक्षित रखे जाने का निवेदन किया गया। वादीगण द्वारा संस्थित वाद का राजस्व अभिलेखो में अभिलेखित खातेदारान प्रतिवादी सं. 01 ता 07 द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। प्रतिवादी सं. 08 ने प्रतिवादी सं. 01 ता 02 की हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 08 के द्वारा दिये गये ऋण के एवज में बिला कब्जा रहन होने से प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 के राजस्व अभिलेखो में अभिलेखित हिस्से में तबदील नहीं करने का जबाब दावा में निवेदन किया गया है। लेकिन खाता एवं लगान के विभाजन करने में कोई आपति नहीं की गई है। इसलिए तनकीयात विरचित कर साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है।

वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 01 ता 08 के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 01 ता 08 राजस्व अभिलेखो में अभिलेखित खातेदारान है तथा वादीगण अपने खातेदारी हिस्सा के मुताबिक ही दावा के साथ नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" में प्रदर्शितानुसार खाता एवं लगान के विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 01 ता 08 ने खाता एवं लगान के विभाजन बाबत कोई आपति नहीं जाहिर की। लेकिन विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करने के बजाय मौके की कब्जा काश्त एवं खातेदारी हिस्सो के मुताबिक माप एवं सीमाकन के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाने के लिए प्रारम्भिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि दावा का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ है। उभयपक्ष मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर खाता विभाजन करवाने को सहमत है। इसलिए विभाजन की अंतिम डिक्री पारित किये जाने से पहले वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 01 ता 07 के खातेदारी के मध्य खाता विभाजन राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार अलग–अलग करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना विधि सम्मत है।

–आदेश–

अतः वाद वादीगण प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर विवादित कृषि भूमि वाके रोही मौजा मेलूसर हाल ख. नं. 193 तादादी 17.9700 हैक्टे. भूमि वादी सं. 01 की 151/1797 हिस्सा, वादी सं. 02 की 152/1797 हिस्सा, वादी सं. 03 की 152/1797 हिस्सा, वादी सं. 04 की 152/1797 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 01 की 36/599 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 02 की 36/599 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 03 की 27/599 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 04 की 134/1797 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 05 की 112/1797 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 06 की 36/599 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 07 की 539/1797 हिस्सा भूमि का खाता विभाजन राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार अलग–अलग करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो।

मीनू वर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर(चूरू)

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:38:20 IST
Reason: SelfAttested

मीनू वर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर(चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

प्राथमिक डिक्री ब मुकद्दमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सरदारशहर व बइजलास श्रीमती मीनू वर्मा

अनुवान अंकित आदि बनाम धनराज आदि

1. अंकित जोड़ीवाल पुत्र सुशिल कुमार जोड़ीवाल जाति जोड़ीवाल निवासी तारानगर जिला चूरू
2. गोरीशंकर पुत्र भंवरलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोगटिया चारणान तहसील तारानगर जिला चूरू
3. ओमप्रकाश पुत्र शेराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी बाबरियां तहसील तारानगर जिला चूरू
4. रतनलाल पुत्र मामचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी बाबरियां तहसील तारानगर जिला चूरू

–वादीगण–

1. धनराज बरमेचा पुत्र पूनमचन्द बरमेचा
2. मु. निशा बरमेचा पत्नी धनराज बरमेचा
3. पंकज कुमार पुत्र मघराज डागा जाति ओसवाल निवासी ओसवाल बड़ा बास पंचायती के पास, सरदारशहर जिला चूरू
4. मु. बसन्ती देवी पत्नी भंवरलाल जाति व्यास निवासी ताल मैदान के पास, सरदारशहर जिला चूरू
5. भंवरलाल पुत्र केशराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोंची वाड़ा डाबला, तहसील व जिला चूरू
6. मु. सुन्दर देवी पत्नी सुमेरमल बरमेचा जाति ओसवाल निवासी ओसवाल बड़ा बास पंचायती के पास, सरदारशहर जिला चूरू
7. प्रवेश पुत्र उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी गढी बोहर तहसील व जिला रोहतक हरियाणा।
8. एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक, सरदारशहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू

–प्रतिवादीगण–

अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट 1955 एवं 136 एल आर एक्ट 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री अजय कुमार सारण एडवोकेट मिनजानिब मुदई व श्री मनोज कुमार पारीक, श्री प्रतापसिंह बीदावत, श्री भानीराम झाझड़िया, श्री श्रवणसिंह राठौड़ पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, वाद विवादित कृषि भूमि वाके रोही मौजा मेलूसर हाल ख.नं. 193 तादादी 17.9700 हैक्टे. भूमि वादी सं. 01 की 151/1797 हिस्सा, वादी सं. 02 की 152/1797 हिस्सा, वादी सं. 03 की 152/1797 हिस्सा, वादी सं. 04 की 152/1797 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 01 की 36/599 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 02 की 36/599 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 03 की 27/599 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 04 की 134/1797 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 05 की 112/1797 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 06 की 36/599 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 07 की 539/1797 हिस्सा भूमि का खाता विभाजन राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार अलग–अलग करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सरदारशहर तदनुसार उपविभाजन प्रस्ताव पेश करे।

....

....बीज .... मुबलिग ....

बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 05 सन् 2024 को जारी की गई।

मीनू वर्मा(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर(चूरू)

उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर

मोहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प [illegible]	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफर्रिक	00	00
मुतफर्रिक	04	00	मिजान	01	00
मिजान	10	00			

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:38:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner